एक राष्ट्र एक कर – जी॰एस॰टी॰

पंकज गर्ग
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की।

आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स सुधार है–जी.एस.टी. इसका प्रभाव हर आम आदमी एवं खास आदमी पर पड़ेगा। भारतवासियों के लिये सबसे डरावना शब्द है टैक्सः सरकार इतने टैक्स लाद देती है, मनुष्य इसे समझने के स्थान पर चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जी.एस.टी. (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स), वस्तु एवं सेवा कर जिसको लागू करने की कवायद 16 साल पहले शुरू हुयी थी, अब यह पूरी तरह लागू होने को तैयार है। संसद ने हाल ही में संशोधित बिलों के साथ जी.एस.टी. को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इसे 1 जुलाई 2016 को लागू कर दिया जायेगा।

पृष्ठभूमि–अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सुधारों की शुरूआत वर्ष 2003 में केलकर समिति ने की थी। इसके पश्चात् संप्रग सरकार ने वर्ष 2006 में जी.एस.टी. विधेयक पारित किया था। जी.एस.टी. व्यवस्था वर्तमान में 140 देशों में लागू है। वर्ष 1954 में जी.एस.टी. लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। भारत की तरह दोहरी जी.एस.टी. व्यवस्था ब्राजील एवं कनाडा में है।

वर्ष 2000 में तत्कालिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने जी.एस.टी. पर विचार हेतू एक विशेष अधिकार समिति का गठन किया था। जिसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के तत्कालिक वित मन्त्री असीम गुप्ता को बनाया गया था। असीम गुप्ता समिति को जी.एस.टी. के लिये मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।

क्या है जी.एस.टी.–यह एक ऐसा कर है, जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु या सेवा के निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर लगाया जा सकता है। यह केन्द्र व राज्य के कुल लागू 20 तरह के टैक्स का स्थान लेगा। इस व्यवस्था के लागू होने पर उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर सेवा कर जैसे केन्द्रीय कर व राज्य स्तर के बिक्री कर जैसे–वैट, बिक्रीकर, एंट्रीकर, लाटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, लाइसेन्स कर, वस्तु स्थानांतरण आदि पर लगने वाले कर समाप्त हो जायेंगे। इस कर व्यवस्था में वस्तु एवं सेवा की खरीद पर दिये गये कर को उनकी सप्लाई के समय दिये जाने वाले कर के मुकाबले समायोजित कर दिया जाता है। यह कर अन्त में ग्राहक को ही देना होता है, क्योंकि वह सप्लाई की चेन में खड़ा अन्तिम व्यक्ति होता है।

लागू होने पर निम्न कर समाप्त होंगे।

केन्द्रीय कर	राज्य कर
सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी	वेट
ड्यूटीज ऑफ एक्साइज	सेन्ट्रल सेल टैक्स
एडीशनल डयूटीज ऑफ एक्साइज	पर्चेज टैक्स
एडीशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम	लक्जरी टैक्स
सर्विस टैक्स	एन्ट्री टैक्स
वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले सेस एवं सरचार्ज	मनोरंजन टैक्स
	विज्ञापन टैक्स
	वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले सैस व सरचार्ज

जी.एस.टी. के प्रकार– जी.एस.टी. के अन्तर्गत 4 प्रकार की जी.एस.टी. का प्रावधान किया गया है।

(1) केन्द्रीय जी.एस.टी. (C.G.S.T.)–केन्द्रीय जी.एस.टी. के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर यह कर लगाये जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत–केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, आबकारी, सीमा शुल्क, सेवा कर एवं वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित उपकर व अधिभार सम्मलित हैं।

(2) राज्य जी.एस.टी (S.G.S.T.)–इस व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाए एवं वसूल किये जाएंगे। इसके अन्तर्गत वर्तमान में वेट, खरीद कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन लाटरी, सट्टे के कर एवं वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के राज्य उपकर व अधिभार सम्मलित है।

(3) एकीकृत जी.एस.टी. (I.G.S.T.)–प्रस्तावित जी.एस.टी. में एकीकृत जी.एस.टी. का प्रावधान है। आई.जी.एस.टी., अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। यह कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये व वसूल किये जायेंगे। आई.जी.एस.टी. के तहत प्राप्त कर की राशि को राज्यों को होने वाले राजस्व क्षति की पूर्ति हेतु राज्यों में वितरित कर दिए जाने का प्रावधान है।

(4) संघ राज्य क्षेत्र जी.एस.टी.–वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत यू.टी.जी.एस.टी. की व्यवस्था या प्रावधान उन केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए है। जहां विधान सभाएं नहीं हैं। जैसे अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप, दमन व द्वीप आदि। इन प्रदेशों में केन्द्र सरकार द्वारा कर लगाने व वसूले जाने का प्रावधान है।

जी.एस.टी. परिषद की संरचना– जी.एस.टी. सम्बन्धित अधिनियम के अर्न्गत एक जी.एस.टी. परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है जिसके तहत जी.एस.टी. परिषद की संरचना एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विधान है।

(1) केन्द्रीय वित्त मंत्री (चेयर पर्सन)
(2) केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री (सदस्य)
(3) राज्यों के वित्त मंत्री (सदस्य)

जी.एस.टी. परिषद की संरचना में केन्द्र व राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा यह परिषद जी.एस.टी. के लिए शीर्ष निकाय होगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री सभापति व इसके अतिरिक्त इस परिषद के केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयों के वित्त व राजस्व मामलों के प्रभारी, वित्त राज्य मंत्री तथा राज्य के कराधान तथा वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री या उनके द्वारा नामित सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

पंजीकरण प्रक्रिया–वर्तमान डीलर, मौजूदा समय में वेट में पंजीकृत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क या सेवा कर चुकाने वालो को नये पंजीकरण के आवेदन की जरूरत नहीं है। केवल नये जी.एस.टी. संख्या के लिये आवेदन करना होगा।

❋ नये डीलर के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण संख्या पैन आधारित होगी।

❋ 20 लाख के सालाना कारोबार वाले व्यापारियों के लिये अनिवार्य नहीं है रजिस्ट्रेशन।

❋ किसान जी.एस.टी. दायरे से बाहर रहेंगे।

❋ एक व्यक्ति को एक ही जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर मिलेगा इसे पैन कार्ड से जोड़ा जायेगा।

❋ एक जुलाई 2017 से लागू करने की तैयारी है।

❋ जी.एस.टी. का रिटर्न केवल इन्टरनेट के माध्यम से ही भरा जायेगा।

❋ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्य के सालाना 10 लाख से कम टर्न ओवर पर जी.एस.टी. दायरे में नहीं आयेंगे।

❋ सालाना 1.50 करोड़ रूपये से कम का कारोबार करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर राज्य सरकार का नियन्त्रण रहेगा।

❋ सालाना 1.50 करोड़ रूपये से अधिक करोबार करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर केन्द्र सरकार का नियन्त्रण रहेगा।

❋ वित्त वर्ष 2015–16 को आधार वर्ष मानकर राज्यों के राजस्व का अनुमान लगाया जायेगा।

❋ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं देने वाली प्रोफेशनल कम्पनियों को अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

❋ केन्द्र व राज्य सरकार के लिए एक ही रिटर्न भरना होगा। जी.एस.टी. व्यावसायिक प्रक्रियाओं के रिटर्न भरने के लिये आठ फार्म होगें। अधिकांश औसत कर दाताओं को सिर्फ चार फार्म भरने होंगे। इसमें आपूर्ति रिटर्न, खरीद रिटर्न और मासिक व वार्षिक रिर्टन के लिये होंगे। जो छोटे कर दाता कम्पोजिट स्कीम का विकल्प चुनेंगे उन्हें वैकल्पिक आधार पर रिटर्न भरना होगा। रिटर्न पूर्ण रूप से ऑनलाइन भरे जायेंगे।

❋ जी.एस.टी. प्रणाली के अन्तर्गत जो प्रतिष्ठान या कारोबारी जी.एस.टी. नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन नहीं करायेंगे उन्हें इसमें कोई इनपुट क्रेडिट या रिफन्ड नहीं मिलेगा। रिफन्ड तभी मिलेगा जब वे जी.एस.टी. के रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करेंगे व रजिस्ट्रेशन कराते ही उन्हें प्रतिमाह रिटर्न भरना होगा।

जी.एस.टी. टैक्स प्रणाली में दर– जी.एस.टी. के लिए अभी सरकार के पास चार स्लेब विचाराधीन है, जिसमें 5, 12, 18 व 28% के स्लेब तैयार किए हैं। अभी किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, यह तय नहीं है। जी.एस.टी. बिल में अधिकतर टैक्स दर 20% रखने का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्र व राज्य का टैक्स मिला कर टैक्स अधिकतम 40% तक पर जा सकता है।

सैस के लिये प्रावधान–सरकार ने अभी लगने वाले सैस (उपकर व अधिभार), शिक्षा सैस, कृषि कल्याण सैस, स्वच्छ भारत सैस, आदि सभी सैस को समाप्त कर दिया है। जी.एस.टी. में एक डोमेस्टिक गुड्स का वर्ग बनाया गया है। इसके अन्तर्गत पान मसाले पर अधिकतम 135% व सिगरेट पर 290% व लक्जरी कारों व कार्बोनेटेड डिस्क पर 15% सैस लगाने का प्रावधान है।

जी.एस.टी के लाभ–जी.एस.टी. मौजूदा कर ढाँचे की तरह कई स्थानों पर कर न लगकर केवल गन्तव्य स्थान (Destination Point) पर लगेगा। वर्तमान प्रणाली में किसी सामान पर फैक्ट्री से निकलते हुये टैक्स लगता है और फिर खुदरा स्थान पर जब भी वह बिकता है तो वहां भी टैक्स जोड़ा जाता है।

आयकर विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई नीति से जहां भ्रष्टाचार में कमी आयेगी वहीं लाल फीतेशाही भी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। पूरा देश एक साझा व्यापार बन जायेगा तथा व्यापार में वृद्धि होगी। अभी हम अलग–अलग सामान पर 30–35 प्रतिशत टैक्स देते थे। जी.एस.टी. कम लगेगा। इसके अतिरिक्त व्यापारियों की लागत कम होगी।

जी.एस.टी. का दैनिक जीवन में प्रभाव–सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पर इसका असर कम होगा।

सस्ता होगा	महंगा होगा	लागू नहीं होगा
कार	होटल बिल	शिक्षा
यूटीलिटी वाहन	एयर टिकट	स्वास्थ्य सेवा
टू–व्हीलर	ट्रेन टिकट	तीर्थ यात्रा
मूवी टिकट	अन्य सेवायें	मानव उपयोग के लिये
पंखें व लाइटिंग	सिगरेट	शराब
वाटर हीटर	कपड़ा व गारमेन्ट	रीयल स्टेट
समर कूलर	ब्रान्डेड ज्वेलरी	पट्रोल, डीजल, ईंधन
पेन्ट, सीमेन्ट		
टी.वी., फ्रिज		

जी.एस.टी.–एक नजर में

- जी.एस.टी. के अन्तर्गत कर संरचना आसान होगी व कर–आधार बढ़ेगा।
- इसके दायरे से बहुत कम सेवाएं बच पायेंगी।
- लागू होने के पश्चात् रोजगार, आर्थिक विकास व निर्यात में वृद्धि।
- इलैक्ट्रोनिक पेमेन्ट व्यवस्था।
- ऑन लाइन बैंकिग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट, इलैक्ट्रोनिक मनी ट्रांसफर, चैक व नगद भुगतान।
- पूरी संरचना पारदर्शी होगी।

पहला चरण

- एक उद्यमी ने रू. 100/– कीमत का कपड़ा खरीदा है।
- इसमें रू. 10/– का अप्रत्यक्ष कर भी सम्मलित है।
- वह इसकी सिलाई से शर्ट तैयार करता है।
- इसमें लागत आती है रू. 30/–।
- शर्ट तैयार होने पर वह कीमत रखता है। रू. 130/–।
- इस पर लगता है 10% कर।
- शर्ट की वर्तमान कीमत पर कुल 10% के हिसाब से कर 13/– रू.।
- निर्माता वह रू. 10/ का कर कपड़ा खरीदते समय अदा कर चुका है।
- उसे कर देना होगा 13–10 = 3/– रू.।

दूसरा चरण

- शर्ट पहुंची थोक विक्रेता के पास, उसने चुकाये रू. 130/– ।
- रू. 130/– मूल्य में उसने जोड़ा रू. 20/– मुनाफा कीमत हो गई रू. 150/– ।
- इस पर कर लगता है 10% = 15/– रू.।
- निर्माता इस पर पहले ही कर चुका है 13% भुगतान।

❋ थोक विक्रेता को मिलेगी इससे छूट कर के रूप में और उसे अदा करना होगा 15 – 13 = रू. 3/– जी.एस.टी.।

तीसरा चरण

❋ थोक विक्रेता ने रिटेलर को रू. 150/– में बेची शर्ट।

❋ रिटेलर ने इसकी पैकिंग पर जोड़ा रू. 10/– और मुनाफा शर्ट की कीमत हो गयी रू. 160/– ।

❋ इस पर 10% का कर रू. 160/– पर रू. 16/– होगा।

❋ थोक विक्रेता के स्तर तक हो चुका भुगतान रू. 15/– रिटेलर को देने होगें 16–15 = रू. 1/– ।

कुल जी.एस.टी.

शर्ट पर निर्माता, थोक विक्रेता व फुटकर विक्रेता के स्तर पर लगा जी.एस.टी. 10 + 3 + 2 + 1 = 16/– शर्ट की कीमत हो गयी 166/– ।

निष्कर्ष

जी.एस.टी. लागू होने पर पूरे राष्ट्र में एक ही कर प्रणाली लागू होगी। देशभर में एक समान एक दाम से पूरे देश में मिलेगा। टैक्स चोरी में कमी आयेगी, कर दाताओं की संख्या में वृद्धि होगी। तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था और साझा बाजार के रूप में विकसित होगी। विदेशी निवेश बढ़ेगा इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास व रोजगार के नये आयाम स्थापित होंगे। इससे कुछ दुष्परिणाम भी होंगे जिसे उपयुक्त रणनीति को अपनाकर दूर किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप उत्साहजनक परिणाम आने की सम्भावना है। दुनिया के जिन देशों में जी.एस.टी. लागू होने पर शुरूआती समय में कीमतों में वृद्धि हुई है। इसे "नये सम्पन भारत की संरचना की शुरूआत" बताया जा रहा है।

किसी राष्ट्र की राजभाषा वही भाषा हो सकती है जिसे उसके अधिकाधिक निवासी समझ सकें।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री